

न्यायालय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर वेन्च रीवा
संभाग रीवा (म०प्र०)

65

श्री २५०३१० शर्मा, श्री वि
द्वारा आज दि २५-८-१४ को
प्रस्तुत
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर



र 2722-II/14

- 1-गजाधर सिंह पिता सुखदेव उम्र-75 वर्ष
- 2-अनिल कुमार सिंह पिता रमागोविन्द सिंह उम्र-50 वर्ष
- 3-शिवेन्द्र सिंह पिता रमागोविन्द सिंह उम्र-46 वर्ष तीनों निवासी
ग्राम खेखड़ा तहसील देवसर जिला सिंगरौली म०प्र०
- 4-सविता सिंह पिता रमागोविन्द सिंह उम्र-48 वर्ष सा० बिरहुली
बुढ़ार जिला शहडोल म०प्र०
- 5-बबिता सिंह पिता रमागोविन्द सिंह सा० लखनऊ लखनपुर
जिला सूरजपुर छ०ग०

—आवेदकगण

बनाम

- 1-अशोक सिंह पिता स्व० लक्ष्मण सिंह उम्र-55 वर्ष निवासी ग्राम
देवरा तहसील देवसर जिला सिंगरौली म०प्र०
- 2-विनोद सिंह पिता हीरालाल सिंह उम्र-50 वर्ष
- 3-नारेन्द्र सिंह पिता हीरालाल सिंह उम्र-47 वर्ष दोनों निवासी
ग्राम खेखड़ा तहसील देवसर जिला सिंगरौली म०प्र०
- 4-विमला सिंह पिता लक्ष्मण सिंह सा० शुकुलगवाँ जिला सतना
म०प्र०
- 5-कान्ता सिंह पिता लक्ष्मण सिंह सा० बंजा भैयाथान जिला
सूरजपुर छ०ग०

25-8-2014

7-संतोष सिंह पिता हीरालाल सिंह सा0 धरमपुर पो0 आ0 झोर
जिला अम्बिकापुर छ0ग0

8-संध्या सिंह पिता हीरालाल सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट बेलहा

जिला प्रतापगढ़ उ0प्र0

—अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान
उपखण्ड अधिकारी महोदय देवसर जिला
सिंगरौली म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक
24/अ-27/2012-13 मे पारित आदेश
दिनांक 30/06/2014।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0
भू-राजस्व संहिता 1959।

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य-

1-यह कि आवेदक क्र0 1 गजाधर सिंह, आवेदक क्र0 2 ता 5 के
पिता स्व0 रमागोविन्द सिंह, अनावेदक क्र0 1 एवं 4 ता 6 के
पिता स्व0 लक्ष्मण सिंह तथा अनावेदक क्र0 2, 3 एवं 7, 8 के
पिता स्व0 हीरालाल सिंह के विरुद्ध ग्राम खेखड़ा, देवरा,
जोबगढ़, बरगवाँ एवं गिधेर तहसील देवसर जिला सीधी
वर्तमान जिला सिंगरौली म0प्र0 की भूमियों के सम्बन्ध मे प्रकरण
क्र0 763, 764, 765, 731/ब-90(3)/1974-75 मे म0प्र0 कृषि
भूमि अधिकतम् जोत सीमा अधिनियम 1960 संशोधित अधिनियम
क्र0 13 सन् 1974 के तहत पारित आदेश दिनांक
31/01/1996 की इत्तलावी वावत आवेदन पत्र आवेदक क्र0
1 ता 3 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया था,
जिसके अनुसार अनावेदक क्र0 1 ता 3 अपने हिस्से की उक्त
ग्रामो की भूमियों का अपने नाम बटवारा मे दर्ज कराना चाहते
थे, तथा 41-42 एकड़ अतिशेष घोषित भूमि को शासकीय दर्ज
कराना चाहते है।

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R-2722-दो/14

जिला - सिंगरौली

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13/8/19	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी.....<u>500 देवसर</u> <u>सिंगरौली</u> के प्रकरण क्रमांक <u>24/27/12-13</u>..... में पारित आदेश दिनांक <u>30.6.14</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू- राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु <u>कलेक्टर सिंगरौली</u> को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक <u>18.10.19</u> को <u>कलेक्टर सिंगरौली</u> के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">(महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	